राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–40/2004

प्रभूलाल बैरवा —अपीलार्थी

बनाम

1. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर, राज.।
2. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
3. तहसीलदार, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अंकित कुमार, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर आदेश दिनांक 31.03.1976 के द्वारा हुई थी एवं अपीलार्थी को केनाल सर्किल कोटा आवंटित किया गया था। अपीलार्थी की नियुक्ति अस्थाई रूप से हुई थी, जो 6 माह के लिए अथवा प्रशिक्षित पटवारी के उपलब्ध होने तक की गई थी। अपीलार्थी को पटवारी के पद पर दिनांक 01.08.1980 से स्थाई घोषित किया गया था। जिसके संबंध में आदेश दिनांक 29.10.1984 पारित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.08.1991 के द्वारा दिनांक 07.04.1991 से चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, जो 15 वर्षीय सेवा प्रथम नियुक्ति की दिनांक 07.04.1976 से गणना करते हुए दिया गया। इसके पश्चात वित्त विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2002 के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को 18 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। ऑडिट द्वारा अपीलार्थी पर यह आक्षेप लगाया कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से चयनित वेतनमा का लाभ दिया गया, जबकि अपीलार्थी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी से 31621/– रुपये की वसुली की अनुशंसा की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को सही प्रकार से चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है, जो प्रथम नियुक्ति की दिनांक से दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि

अपीलार्थी ने 27 वर्ष की सेवा भी पूर्ण कर ली, परंतु उन्हें 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से पत्र दिनांक 12.12.2003 (अनुलग्नक–9) जारी कर अपीलार्थी से 31621/– रुपये जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति के समय पटवारी के पद पर नियुक्ति का अधिकारी नहीं रखता था, क्योंकि उसके पास पटवारी के पद के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं था। इसलिए अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नियमित नियुक्ति नहीं मानी जा सकती। यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति जो दिनांक 31.03.1976 को हुई थी, वह 6 माह के लिए ad-hoc के रूप में हुई थी। अपीलार्थी ने पटवारी के पद के लिए ट्रेनिंग की परीक्षा वर्ष 1980 में उत्तीर्ण की थी। इस कारण से अपीलार्थी को पटवारी के पद के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था। इस कारण से अपीलार्थी से वसुली करने करने में कोई त्रुटि नहीं थी।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 31.03.1976 का अवलोकन करें तो उसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलार्थी की नियुक्ति 6 माह के लिए अस्थाई रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध होने तक की अवधि के लिए की गई थी। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ad-hoc के रूप में की गई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.10.1984 के आदेश के द्वारा स्थाई किया गया था, जिसमें अपीलार्थी की स्थायीकरण की तिथि 01.08.1980 अंकित है। इस प्रकार अपीलार्थी की सेवाएं जो अपीलार्थी ने 31.03.1976 से 01.08.1980 तक दी है, वह ad-hoc के रूप में थी। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14491/2013 में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बनाम श्रीमती इंदु शर्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2015 में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

> "7. In view of the admitted factual matrix, the controversy raised herein may not detain this Court for long in the face of authoritative pronouncement on the issue by the Hon'ble Apex Court

of the land in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), wherein the Hon'ble Supreme Court held that promotion has to be in the existing cadre in service. Adhoc appointment is always to a post, but not to the cadre/service and is not made in terms of recruitment rules for regular appointment. In case of ad hoc employees, stagnation is till regularization is made. The stress in the present case is on 'regular' appointment to cadre/service. The question of promotion arises only when appointment is a regular appointment. Further, appointment to the post is not relevant; on the other hand, what is relevant is the period relatable to cadre of the service. Therefore, while reckoning the required length of service, the period of ad hoc service has to be excluded.

In view of the law declared by the Hon'ble Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), it is evident that the respondent-employee was not appointed in any existing cadre/service, and therefore, ad hoc/temporary appointment will not qualify to be treated as 'regular appointment'.

9. For the reasons and discussions herein above and in view of the law declared by the Hon'ble Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), the impugned order passed by the learned Tribunal cannot be sustained and has to be quashed and set aside.

10. Ordered accordingly.

11. Consequently, the writ application succeeds. The impugned order dated 11th December, 2002, is hereby quashed and set aside.

12. In view of the final adjudication on the writ application, the stay application stands closed.

13. However, in the facts and circumstances of the case, there shall be no order as to costs."

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी (2009) 12 एस.सी.सी. 49 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2009 में स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं कि चयनित वेतनमान हेतु नियमित नियुक्ति की तिथि से ही सेवा की गणना की जानी है, जिसकी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में पुनः पुष्टि की हैं।

5. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589 / 2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की

पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दूओं पर अपना निर्णय दिया है :–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:–

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for

> regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि ad-hoc के रूप में दी गई सेवाएं चयनित वेतनमान के लिए नहीं गिनी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत उपरोक्त प्रकरण राजस्थान सरकार बनाम चन्द्राराम के प्रश्न संख्या–सी के उत्तर में यह स्पष्ट किया है कि जो लाभ एक बार कार्मिक को दिया जा चुका है, वह वापस नहीं लिया जा सकता है। पूर्व में अपीलार्थी को उसके प्रथम और द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से 31.03.1976 से मानते हुए दिया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी से उक्त दिये गये लाभ को वापस लिया जाना उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी से वसुली किये जाने के संबंध में जो पत्र दिनांक 12.12.2003 जारी किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी से वसुली के संबंध में जारी पत्र 12.12.2003 (अनुलग्नक–9) निरस्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान के संबंध में कोई वसुली नहीं की जावें।

7. जहां तक तृतीय चयनित के संबंध में लाभ का प्रश्न है, तो अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नियमानुसार अपनी नियमित नियुक्ति की तिथि से गणना करते हुए प्राप्त करने का अधिकारी है। तृतीय चयनित वेतनमान के संबंध में चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी को दिलाया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त तृतीय चयनित वेतनमान के संबंध में अपीलार्थी द्वारा की गई प्रार्थना खारिज की जाती है। उपरोक्त प्रकार से उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)